International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 154-158

राजस्थान में लोकसभा उप–चुनाव एवं भारतीय जनतापार्टी का गिरता जनाधार : एक समीक्षा

[1] डॉ० पी० एम० बैरवा, [2] डॉ० पपली राम

[1] प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत।

[2] असिसटेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत।

सारांश

2013 के चुनावों में 81 प्रतिशत सीटें जीतकर श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में गठित राजस्थान सरकार चार वर्षों में अपना जनाधार खोती जा रही है। राज्य में आठ विधान सभा उप चुनाव हुए जिनमें से 6 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसी प्रकार कुल दो लोकसभा सीटों के उप चुनावों में दोनों पर कांग्रेस की जीत भाजपा के गिरते जनाधार को दर्शाती है। यदि आठ–दस माह में भाजपा ने जनता के मूड को भांपकर उसे अपने पक्ष में करने के प्रयास नहीं किये तो दिसम्बर, 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को बहुमत प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इन उप चुनावों के परिणामों से भाजपा विधायकों में निराशा है तथा एक–दूसरे के खिलाफ आरोप–प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। भाजपा को अपना जनाधार बचाये रखना एक चुनौती से कम नही है।

मूल शब्द : लोकतंत्र, उप–चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, जनमत, जनाधार, मतदान।

प्रस्तावना

लोकतंत्र शब्द की उत्पति आधुनिक चिन्तन की देन है। ऐसी धारणा कि लोकतांत्रिक चेतना केवल पश्चिम में पहले से विद्यमान थी, किन्तु प्राचीन भारतीय चिन्तन पर यदि हम समग्र दृष्टि डाले तो निष्कर्ष निकलता है कि भारत में प्राचीन काल में भी लोकतांत्रिक चेतना विद्यमान थी और प्राचीन भारतीय चिन्तन में जब से राज्य की उत्पति हुई, राजनीतिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, तभी से लोकतांत्रिक चेतना का उदय हो चुका था।

यदि लोकतंत्र शब्द को परिभाषित किया जाये तो लोक का शाब्दिक अर्थ है– जनसाधारण व तंत्र से तात्पर्य है शासन। अर्थात जनसाधारण या जनता का शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' है। इस शब्द की उत्पति ग्रीक मूल के शब्द डेमोस से हुई है, जिसका अर्थ है 'जनसाधारण'। इसमें क्रेसी शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ है शासन या सरकार। इस प्रकार लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ ही जनसाधारण या जनता का शासन है।[1] लोकतंत्र की सबसे बडी शर्त है कि संप्रभु शक्ति समस्त जनता की इच्छा में निहित हो, यदि संप्रभु शक्ति एक अथवा चंद हाथों में केन्द्रीकृत हो जाये तो सत्ता के दुरूपयोग की अधिकतम सम्भावनाएँ जन्म लेती हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढाकर और नियत कालिक चुनाव कराकर शासन में पारदर्शिता तथा जबाबदेहिता को बढाया जा सकता है।[2]

भारत में भी शासन व्यवस्था की लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय लोकतंत्र ने अपने अनेक उतार–चढावों से गुजरते हुए आज एक नवीन युग में प्रवेश किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक है। सुशासन की प्राप्ति राजनीतिक व प्रशासनिक पारदर्शिता से ही सम्भव है। लोकतंत्र का निर्माण और संचालन उसके नागरिकों की इच्छा से उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए भारतीय संविधान में एक पृथक संवैधानिक आयोग बनाया गया है, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। [3]

संसदीय शासन की सफलता का आधार ही वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वच्छ, स्वतंत्र एवं नियतकालिक चुनाव हैं। सरकार द्वारा अपने हितों के लिए निर्वाचन को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। जनतंत्र और निर्वाचन में अनिवार्य अन्योन्याश्रित स्थिति महत्वपूर्ण रही है। किसी भी प्रकार के दबाब से मुक्त जनता के द्वारा व्यस्क मताधिकार का प्रयोग सरकार के निर्माण एवं परिवर्तन का मुख्य तत्व है।[4]

भारतीय लोकतंत्र ने अपने जीवन में अनेक उतार–चढावों से गुजरते हुए आज एक नवीन युग में प्रवेश किया है। भारत दुनिया के सबसे बडे लोकतंत्र के रूप में विख्यात है। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु सुशासन आवश्यक है तथा सुशासन की प्राप्ति प्रशासनिक पारदर्शिता से ही सम्भव है। यह पारदर्शिता चुनावों से ही सम्भव होती है। निर्वाचन एक अवसर होता है, जब लोकतंत्र अपने असली रूप में उभरता है और सामान्य नागरिक व मतदाता के साथ उसका सम्पर्क स्थापित होता है। यह सम्पर्क जितना सहज, आत्मीय एवं सार्थक होता है, लोकतंत्र का स्वरूप भी उतना ही निखरकर आता है और उसकी प्रखरता प्रकट होती है। चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण महापर्व माना जाता है। लोकतंत्र को सफल बनाने में चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमण्डल के सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय संस्थाओं आदि के चुनावों हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करने से लेकर चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग द्वारा ही सम्पन्न करवाये जाते हैं। भारत में अब तक लोकसभा के 16 आमचुनाव, राज्य विधानसभा के अनेक निर्वाचन एवं लोकसभा तथा विधानसभा के अनेक उप चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में 16 लोकसभा के चुनाव तथा अनेक विधानसभाओं के चुनावों में भारतीय मतदाता का व्यवहार गतिशील, जागरूक एवं राजनीतिक चेतना का परिचायक रहा है।

आम चुनावों का ऐतिहासिक परिदृश्य

स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव 1951–52 में करवाये गये। प्रथम आम चुनाव में लगभग आधे मतदाताओं द्वारा अपने

मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी सहभागिता प्रकट की, जो भारतीय राजनीति एवं लोकतांत्रिक ढांचें में एक साहसिक कदम था। 1967 में सम्पन्न चतुर्थ आम चुनाव के परिणामस्वरूप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नवीन राजनीतिक ध्रुवीकरण का उद्‌भव हुआ जिसमें भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति नकारात्मक मतदान कर एक दलीय प्रभुत्व के बजाय प्रतियोगी दलीय व्यवस्था के रूप में गैर–कांग्रेसी दलों को स्वीकार किया।[5] इसी तरह 1977 में सम्पन्न छठे आमचुनावों में मतदाताओं ने कांग्रेस के विरूद्ध विकल्प के रूप में नवगठित जनता पार्टी को प्रस्तुत कर लोकतंत्र के पुनर्जीवन का नारा दिया तथा राजनीतिक दलों के प्रति अपनी चेतना को दर्शाया। इसी प्रकार 1980 में आयोजित सातवें मध्यावधि चुनाव में मतदाताओं ने जनता पार्टी में आन्तरिक गुटबंदी के विरोध एवं राजनीतिक स्थायित्व के लिए कांग्रेस के पक्ष मे मतदान किया तथा भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को सत्तारूढ़ किया। इस प्रकार मतदाताओं ने समय–समय पर अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय देकर सत्ता में आई पार्टी को सजग किया एवं अपनी सूझ–बूझ का परिचय दिया।

1989 में बोफोर्स प्रकरण, भ्रष्टाचार, अयोध्या का राम मन्दिर विवाद तथा कांग्रेस(ई) की गिरती राजनीतिक प्रतिष्ठा की पृष्ठभूमि में आयोजित लोकसभा चुनावों में मतदाताओं ने गैर–कांग्रेसी दलों के गठबन्धन–राष्ट्रीय मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया, जो भारतीय राजनीति में बदलाव के संकेत के रूप में स्पष्ट हुआ।[6]

2004 में 14 वीं लोकसभा चुनावों में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव पूर्व गठबन्धन किया। एक ओर भाजपा एवं सहयोगी दलों का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन.डी.ए.) बना तथा दूसरी ओर कांग्रेस एवं सहयोगी दलों का (यू.पी.ए.) गठबन्धन मैदान में आया। भारतीय मतदाताओं ने केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में जनादेश दिया तथा 8 वर्षों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस के संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन को केन्द्र में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया।[7]

15 वीं लोकसंभा के आम चुनाव 2009 में सम्पन्न हुए तथा 543 सीटों में से 261 सीटों पर यू.पी.ए. (संयुक्त प्रगतिशील गठनबन्धन) विजयी रहा। 22 मई, 2009 को डॉ. मनमोहन सिहं के नेतृत्व में यू. पी.ए.–2 सरकार का गठन हुआ। भारतीय मतदाताओं नें यहॉ भी अपनी राजनीतिक परिपक्वता, सूझ–बूझ एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया।[8]

2014 में आयोजित 16 वीं लोकसभा चुनावों के दौरान नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से भ्रष्टाचार खत्म करने, महंगाई में कमी लाने, कालेधन की वापसी, सबके लिए आवास तथा आतंकवाद से निपटने जैसे अनेक वादे किये और इसी आधार पर चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजयी रही। नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रव्यापी लहर ने सभी जातीय एवं सामाजिक समीकरण ध्वस्त करते हुए भाजपा ने अकेले ही 282 सीटों पर विजय प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। लोकसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को तीन दशक बाद स्पष्ट बहुमत मिला।[9]

उप–चुनाव एवं भारतीय जनता पार्टी

अप्रेल–मई, 2014 में 16 वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र में 'प्रचण्ड बहुमत' के साथ अपनी सरकार बनाई किन्तु कुछ माह बाद ही सितम्बर, 2014 में लोकसभा की तीन सीटों –बड़ोदरा (गुजरात), मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) और मैडक (आन्ध्र प्रदेश) में चुनाव हुए।[10] इनमें से केवल एक सीट पर भाजपा को सफलता मिली तथा दो सीटों पर समाजवादी पार्टी एवं टी. आर. एस. ने जीत दर्ज की। इन उप चुनावों में अप्रत्याशित परिणाम देकर भारतीय मतदाता ने राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों को यह संदेश दिया है कि न तो उसे चुनावों की बयार में बहाया जा सकता है और न ही बहकाया जा सकता है। लोकसभा चुनावों के पश्चात् अब तक देश में चार बार उप चुनाव हो चुके हैं।[11] सितम्बर 2014 के उप चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा जो विधानसभा राजस्थान में उपचुनाव एवं भारतीय जनता पार्टी कई मायनों में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बन गये थे।[12]

उत्तर प्रदेश में 16 वीं लोकसभा के चुनावों में भाजपा ने सभी दलों का सफाया करते हुए 80 में से 73 सीटें जीत कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। राज्य में 12 सीटों (11 विधानसभा – 1 लोकसभा) के लिए हुए उप–चुनावों में भाजपा अपनी सीटे नही बचा सकी। ये समस्त सीटे उत्तर प्रदेश के अलग–अलग स्थानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सीटे भाजपा विधायकों के गत लोकसभा चुनावों में सांसद चुना लिए जाने के बाद राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई थी। इस प्रकार यहां यह दृष्टिगत होता है कि पूर्व में ये समस्त विधानसभा क्षेत्र भाजपा के गढ थे। किन्तु सितम्बर 2014 के उप– चुनावों में उसे इन 11 में से तीन स्थानों पर सन्तोष करना पडा जबकि लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। पिछले कुछ समय से उत्तरप्रदेश में बढते अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति, महिला सुरक्षा, साम्प्रदायिकता, बिजली संकट इत्यादि विषयों पर अखिलेश सरकार की विफलता के कारण आम जनता में धीरे–धीरे आक्रोश पनप रहा था जिसमें भाजपा सरकार भी सुधार करने में असफल हो रही है।[13]

राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव एवं भारतीय जनता पार्टी

नबम्बर–दिसम्बर 2013 में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 200 विधानसभा सीटों में से 163 सीट अर्थात 81 प्रतिशत सीटे जीतकर प्रचण्ड बहुमत से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।साथ ही लोकसभा आम चुनाव, 2014 में भी राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर जीत कर पहली बार शत प्रतिशत सीटों पर कब्जा जमाया। लेकिन बाद में राजस्थान में हुए उप चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए निराशाजनक रहे। राज्य की 4 विधानसभा सीटों के लिए 13 सितम्बर, 2014 को उप चुनाव हुए तथा 16 सितम्बर को आये परिणामों में कांग्रेस ने भाजपा की तीन सीटों पर जीत दर्ज की और पार्टी की वापसी का संदेश दिया। भाजपा चार में से केवल एक सीट को बचा पाई। इसमें भी जीत का अन्तर पिछले चुनाव के मुकाबले आधा ही रहा। इन उप चुनावों में कोटा दक्षिण से भाजपा के संदीप शर्मा, वैर से कांग्रेस के भजन लाल जाटव, सूरजगढ से कांग्रेस के श्रवण कुमार और नसीराबाद से कांग्रेस के रामनारायण ने चुनाव जीता।[14] इस प्रकार राज्य में सत्तारूढ पार्टी 160 सीटों पर सिमट गयी और कांग्रेस 21 सीट से बढकर 24 तक पहुॅच गई।[15] अप्रेल, 2017 में हुए राज्य विधानसभा की धौलपुर सीट के लिए उप चुनाव में भाजपा की शोभारानी कुशवाह ने चुनाव जीता जबकि कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को चुनाव में हार का सामना करना पडा। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की चुनावी दौड़ ने धौलपुर की सीट को बचाने में कामयाबी हासिल की जबकि 2014 में हुए उपचुनाव में भाजपा चार सीटों में से एक सीट पर विजयी रही और कांग्रेस के चार में से 3 सीटे प्राप्त होना कांगेस की जीत नही बल्कि भाजपा प्रबन्धन की हार ही अधिक मानी गई। इस पराजय के पीछे वसुन्धरा राजे की सरकार के 9 महीने के काम–काज, उम्मीदवारों का चयन, चयन से उपजा असन्तोष तथा भीतरघात और सत्ता संगठन में तालमेल की कमी

भी मुख्य कारण रही। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अलग–अलग विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों सहित अन्य महत्वपूर्ण पार्टी नेताओं को चुनाव की कमान सौपी, परन्तु परिणाम निराशा जनक ही रहे।[16] भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ विधानसभा से विधायक चुनी गई कीर्ती कुमारी की स्वाइन फ्लू से मौत अपने आप में सरकार की असफलता को दर्शाती है। जुलाई से सितम्बर, 2017 तक राज्य में फैले स्वाइन फ्लू जैसे घातक बीमारियों से आम आदमी तो क्या विधायक भी नही बच पाये। इस सीट पर 29 जनवरी, 2018 को उप चुनाव हेतु मतदान कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के कार्यकाल से 10 माह पूर्व हेतु जी जान लगा कर चुनाव प्रचार किया तथा नगरीय विकास मंत्री को चुनाव की कमान सौपी एवं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एकाधिक बार माण्डलगढ का दौरा किया, अनेक योजनाओं की घोषणा की, प्रलोभन दिये तथा भाजपा को मत देने की अपील की। इसके बावजूद कांग्रेस के विवेक धाकड़ 70146 मत लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के शक्ति सिंह द्वारा से 12976 मतों से विजयी रहे।[17] यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विवेक धाकड़ ने यह चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में जीता क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही बागी प्रत्याशी निर्दलीय गोपाल मालवीय 40470 मत प्राप्त करने में सफल रहे। यदि गोपाल मालवीय चुनाव मैदान में नही होते तो कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का अंतर कहीं ज्यादा मतों का होता। इसी प्रकार माण्डलगढ विधानसभा उप चुनाव में भाजपा को पटखनी खानी पडी यहां भी राज्य सरकार की नीतियों और शीर्ष नेतृत्व के अंहकार के चलते जनता ने भाजपा से किनारा किया और कांग्रेस की और रूख किया।

लोकसभा उपचुनाव एवं भारतीय जनता पार्टी

यदि राज्य में पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनावों को देखें तो भाजपा काफी आगे थी। अजमेर तथा अलवर लोकसभा सीट व माण्डलगढ विधानसभा सीटों पर जनवरी, 2018 में उप चुनाव हुए हैं। इन क्षेत्रों में विधान सभा की कुल 17 सीटे हैं। इनमें से 15 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। वही एक सीट कांग्रेस के खाते में है और एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (राजपा) के पास है। इनमें भी कांग्रेस को नसीराबाद सीट सितम्बर, 2014 में हुए उप चुनाव में मिली थी।

राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा कुल तीन सीटों पर हुए उप चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जनता ने भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व को नकार दिया और कांग्रेस का साथ दिया। 2013 में मिली जीत के बाद भाजपा का रवैया अहंकार पूर्ण हो गया तथा नौकरशाही बेलगाम हुई। इस कारण जनता ने अपना रूख बदला और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सरकार के शीर्ष नेतृत्व के अहंकार के कारण ही उप चुनाव में भाजपा को अपने लोगों का भी पूरा साथ नहीं मिला।[18]

अजमेर और अलवर लोकसभा की दोनों सांसदों की मृत्यु के कारण रिक्त हुई थी। अजमेर में सांसद सांवर लाल जाट की अगस्त 2017 में आकस्मिक मृत्यु हो गई। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सांसद सांवर लाल जाट भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल होने जयपुर आये थे। मीटिंग के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी और अततः उनका निधन हो गया। इसी प्रकार अलवर के सांसद महंत चांदनाथ भी कैंसर पीड़ित थे और सितम्बर 2017 में उनका निधन हो गया। अजमेर तथा अलवर लोकसभा के उप चुनावों की दिसम्बर, 2017 के अन्त में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा की।

अजमेर लोकसभा उप चुनाव में 65.2 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया । नसीराबाद में जहां 72 प्रतिशत वोटिंग हुई वही अजमेर उत्तर और दक्षिण में क्रमशः 56 व 57 प्रतिशत वोटिंग हुई।[19] इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने दिवंगत सांसद सांवरलाल जाट के सुपुत्र रामस्वरूप लांबा को तथा कांग्रेस ने रघु शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव परिणामों में कांग्रेस के रघु शर्मा 84414 मतों से विजयी रहे। अजमेर लोकसभा उप चुनाव में भी भाजपा सभी आठों विधानसभा क्षेत्रों में पराजित रही है।

लोकसभा उप चुनाव के लिए अलवर तथा अजमेर जिले के सभी सोलह विधानसभा क्षेत्रों में 29, जनवरी 2018 को सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान हुआ। यह चुनाव कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण रहा। लोकसभा क्षेत्र अलवर में कांग्रेस व भाजपा सहित 11 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। अलवर लोकसभा उपचुनाव में 62.35 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा मतदान तिजारा में 71.25 प्रतिशत तथा सबसे कम 55.08 प्रतिशत मतदान अलवर शहर में हुआ।[20]

लोकसभा की अलवर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉ करण सिंह यादव ने भाजपा के उम्मीदवार श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. जसवन्त यादव को भारी मतों के अन्तर से हराकर उपचुनाव में विजय हासिल की है। कांग्रेस के डॉ. करणसिंह को 641634 वोट मिले जबकि भाजपा के प्रत्याशी सरकार में श्रम मंत्री डा. जसवन्त यादव को 444950 मत मिले। इस तरह कांग्रेस ने भाजपा को अलवर उप चुनाव में 196684 मतों से हराया। डॉ. करण सिंह अलवर से दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा क्षेत्र के सभी आठों विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ दल भाजपा को हार का मुॅह देखना पड़ा, जो भाजपा के गिरते जनाधार को दर्शाता है।[21] यहॉ यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अलवर लोकसभा में शामिल आठ विधानसभा क्षेत्रों में से सात विधान सभाओं में भाजपा के विधायक हैं। साथ ही स्वंय लोकसभा प्रत्याशी एवं हेमसिंह भडाना केबीनेट मंत्री हैं। इस के बावजूद आठों विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा की पराजय पार्टी के विरूद्ध जनमत का संकेत है। भाजपा प्रत्याशी एवं श्रम मंत्री डॉ0 जसवंत सिंह यादव स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र बहरोड़ से 21826 मतों से पराजीत हुए।[22] 2013 में डॉ0 यादव कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 40 हजार मतों से हराकर विधायक चुने गये थे।[22]

माण्डलगढ विधानसभा उप चुनाव के लिए हुए मतदान मे करीब 78. 78 फीसदी मतदान हुआ। 2013 में हुए विधान सभा चुनाव में माडलगढ में 82 प्रतिशत मतदान हुआ था।[23]

चुनावी नतीजों से पूर्व त्रिकोणीय संघर्ष में फॅसी इन सीटों पर आम मतदाताओं द्वारा प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर मानी गयी। 29 जनवरी, 2018 को हुए इन चुनावो के नतीजे 1 फरवरी 2018 को साय 4 बजे प्राप्त हुये।

गुजरात विधानसभा चुनाव के एक महिने के अन्दर ही राजनीतिक परिस्थितियां एकदम पलट गई। केन्द्र और कई राज्यों में भाजपा की सरकार होने के पश्चात भी भाजपा राज्यों में अपना जनाधार खोती जा रही है। यह राजस्थान और पश्चिम बंगाल के उप–चुनावों में स्पष्ट देखा जा गया है।[24]

कांग्रेस की जीत : प्रमुख कारण

इन उप चुनावों में युवा नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलेट ने सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति के साथ चुनाव में कदम रखा। वही पूर्व केन्द्रीय मंत्री भॅवर जितेन्द्र सिहॅ का नेतृत्व भी अलवर में स्पष्ट देखने को मिला। इनके

नेतृत्व का परिणाम राजस्थान में दो लोकसभा व 1 विधानसभा सीट दिलवाने में सफल रहे। 2013 व 2014 में विधानसभा व लोकसभा में मिली करारी हार के पश्चात् भी कांग्रेस ने सचिन पायलेट, भँवर जितेन्द्र सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ा और फिर एक बार कांग्रेस को जीत दिलाने में सफलता प्राप्त की। इन उप चुनावों में भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री को जनता ने हार का मुख दिखाया। वही कांग्रेस को आने वाले नवम्बर–दिसम्बर, 2018 में विधानसभा के लिए एक नई आशा की किरण दिखाई दी।[25]

इन तीनों उप चुनावों में कांग्रेस पार्टी के सभी गुटों में एक जुटता और प्रत्येक सीट पर अलग रणनीति ने जीत दिलाई। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलेट एवं डॉ. सी.पी. जोशी तीन गुट सक्रिय हैं। लेकिन इन उप–चुनावों में तीनों गुटों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा जिसका परिणाम हमारे समक्ष है। इसी प्रकार पहली बार मतदान बूथ को मजबूत करने के लिए 'मेरा बूथ मेरा गौरव' अभियान ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। कांग्रेस ने तीनों सीटों पर अलग–अलग रणनीति अपनाई तथा मतदाताओं को अपने पक्ष में कामयाब करने में सफल रही। कांग्रेस ने सभी जाति एवं समूहों का समर्थन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।[26]

राजस्थान लोकसभा उप–चुनाव में भजपा की हार के कारण [27]

चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि दोनों लोकसभा और एक विधानसभा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में भाजपा के 15 विधायक अपने–अपने क्षेत्रों में पराजित रहे हैं। राजस्थान में 2013 के बाद अब तक आठ उप चुनाव हुए जिनमें दो में भाजपा विजयी रही जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इन उप चुनावों में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी की हार के प्रमुख कारण इस प्रकार है–

1. **जनता की नाराजगी** : शहर से लेकर गॉवों तक नोट बन्दी और जीएसटी जैसे फैसलों का असर राजस्थान के लोकसभा और विधानसभा उप चुनावों में स्पष्ट देखने को मिला। लोग नोटबन्दी के दौरान हुई पेरशानियों को भूले नही थे कि जीएसटी ने बाजार को हिला कर रख दिया। इसका सीधा असर आम लोगों पर हुआ।
2. **काला कानून का असर** : राजस्थान में सरकार ने कुछ समय पूर्व एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार भ्रष्टाचार के आरोपी नौकरशाहों एवं जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी कर दिया था। ऐसे में जनता के पास सीधा संदेश गया कि सरकार अब भ्रष्टाचारियों और आरोपियों को बचाने में जुट गई है। जनता इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आई। इस विधेयक पर निर्णय अभी बाकी है। अध्यादेश की 6 माह की अवधि समाप्त हो चुकि है तथा विधेयक प्रवर समिति के पास विचारधीन हैं।
3. **पार्टी ने भुलाया जनता को** : राजस्थान में भाजपा सरकार ने आम जनता को लगभग भुला दिया। जनता के लिए या फिर विकास के लिए कोई खास कार्य नही किए गए जबकि नारा दिया गया – सबका साथ, सबका विकास। ऐसे में लोगों में नाराजगी दिनों दिन बढती गई और नतीजा जनता ने उपचुनावों में दिखा दिया।
4. **भेदभाव की नीति** : राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बडा बोट बैंक माने जाने वाले किसानों को सरकार लगभग भूल गई। प्रधानमंत्री ने किसानों को सही दाम पर फसल की कीमत की बात की, लेकिन उन्हे सही दाम नही मिला। फसल खराबं का मुआवजा भी उन्हें नही मिला। कहने को तो सरकार ने काफी सब्जबाग दिखाएं लेकिन नतीजा शून्य रहा।
5. **अत्याचार** : राज्य में पिछले चार सालों में अपराध बढते गये। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार नाकाम दिखी। वही सरकार ने सरकारी सम्पत्तियों को भी बेचना शुरू कर दिया और खरीद के मामले में पक्षपात किया।
6. **मतदान का बहिष्कार** : मुंडावर क्षेत्र के गॉव लामचपुर में डीएमआईसी की ओर से भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना था कि डीएमआईसी की ओर से भूमि अधिग्रहण बहुत ही कम मूल्य पर किया जा रहा है जिसको लेकर सभी ग्रामीणों ने लोकसभा उप चुनावों का बहिष्कार किया। लामचपुर गॉव के बूथ नम्बर 57 पर कुल 394 मत हैं। जिनमें से एक भी मत नही डाला गया। थोकदार बास में भी ग्रामीणों ने मतदान नही कियां नीमराणा पंचायत समिति के गॉव गूगलकोटा में ग्रामीणों ने आम सहमति से लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार किया। नौगांवा के थोकदार बास में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिसके कारण यहॉ बहुत कम संख्या में वोट डाले गये। मतदान का बहिष्कार कई अन्य जगहों पर भी देखा गया जैसे महाराजावास, इन्दपुरा, भीटोली आदि मे लेकिन कुछ जगहों पर समझाइस के बाद मतदान किया गया। मतदान के बहिष्कार की घोष्णा से भाजपा के विरूद्ध जनमत तैयार हुआ तथा उसे हार का सामना करना पड़ा।[28]

वास्तविकता यह है कि एक आम आदमी की इच्छा दैनिक जीवन की आवश्यकताऍ पूरी करते हुए एक सामान्य रूप से खुशहाल जीवन व्यतीत करने की होती है। साम्प्रदायिकता, आंतकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा अन्य शांन्ति भंग करने वाली घटनाएं उनकी मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आम आदमी पर ऐसी प्रवृतियों का प्रभाव चुनावों में अवश्य ही पड़ता है।

सन्दर्भ

1. बारबू जावेदी, डेमोक्रेसी एण्ड डिक्टेटरशिप, राट्ज एण्ड कैगन पाल लि0, लन्दन, 1956, पृ. 129
2. नारंग, ए.एस., भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1989, पृ. 25,
3. पाण्डे, जयनारायण, भारत का संविधान, सेन्ट्रल ला एजेन्सी, इलाहाबाद, 1999, पृ. 537
4. आढा, आर.एस., भारत में निर्वाचन व्यवस्थाएंः चुनौतियां एवं सम्भावनाए, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008,पृ.182
5. जैन, एस.एन., भारतीय शासन और राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1997, पृ. 249
6. जैन, पुखराज एवं फड़िया, बी.एल., भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2006, पृ. 775
7. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 483.
8. क्रांनिकल, करन्ट अफेयर्स, सरकारी नीतियॉ एवं योजनाएं व कार्यक्रम, जुलाई 2014, पृ. 37
9. कौशिक, सुशिला, भारतीय शासन एवं राजनीति, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 2000, पृ. 170
10. हिन्दुस्तान आगरा, 17 सितम्बर, 2014, पृ. 1
11. राजस्थान पत्रिका, जयपुर, मतदाता ने बजाई जगाने की घंटी, 17 सितम्बर, 2014

12. हिन्दुस्तान आगरा, 'यूपी के परिणामों में हर पाले के लिए सबक', 17 सितम्बर, 2014
13. हिन्दुस्तान, आगरा, 17 सितम्बर, 2014
14. ूण्तंरेंजींदेंमउइसलइलमसमबजपवद2013
15. राजस्थान पत्रिका, अलवर, 30 जनवरी, 2018, पृ.09
16. राजस्थान पत्रिका, अलवर, 2 फरवरी, 2018, पृ.09
17. दैनिक भास्कर, अलवर, 2 फरवरी, 2018, पृ.09
18. उपर्युक्त
19. राजस्थान पत्रिका, 31 जनवरी, 2018 पृ.09
20. राजस्थान पत्रिका अलवर 30 जनवरी 2018, पृ.01
21. राजस्थान पत्रिका, 31 जनवरी, 2018, पृ 03
22. दैनिक भास्कर, अलवर, 2 फरवरी, 2018, पृ.07
23. दैनिक भास्कर, अलवर, 2 फरवरी, 2018, पृ. 07
24. राजस्थान पत्रिका, अलवर, 2 फरवरी, 2018 पृ.09
25. दैनिक भास्कर, अलवर, 2 फरवरी, 2018, पृ.7
26. उपर्युक्त
27. राजस्थान पत्रिका, अलवर, 2 फरवरी, 2018, पृ.09
28. राजस्थान पत्रिका, 30 जनवरी, 2018, पृ.09